हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

नारायणी देवी बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02 / 27 / 2022

09.02.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी हाल आराजी खसरा संख्या 146 / 0.5800 चाही प्रथम, 147 / 0.0200 गै.मु.चाह, 148 / 1.0300 चाही प्रथम, 167 / 267 / 0.0700 जाव प्रथम कुल किता 4 कुल रकबा 1.7000 है0 वाके ग्राम नयाबास हवेली तहसील राजगढ जिला अलवर के किसी भी भाग में होकर कोई सडक का निर्माण नहीं करें न उक्त आराजी को किसी प्रकार से क्षति कारित करें तथा वादनी की उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता तरफ पश्चिम को स्थित सडक से है को मिसमार नहीं करें न अवरूद्व करें। तथा उक्त आराजी के कब्जा काश्त एवं उपयोग व उपभोग में वादनी के साथ किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत व दंखलदाजी ना करें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 24.03.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की खातेदारी व निवर्तमान काबिज काश्त आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मौका–यथास्थिति में परिवर्तन नही करने बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 24.03.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

24/03/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21-4-22 को पेश हो।
रीडर

11/04/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 9-5-22 को पेश हो।
रीडर

9/5/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 27/6/22 को पेश हो
रीडर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ... में
	21/10/24 ... अभिभावक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 11/11/24 को पेश हो S.D.O. 11/11/24 ... अभिभावक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 17/12/24 को पेश हो S.D.O. 17/12/24 पत्रावली पेश। मूल वाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। SDO	